Office Order No. HO/591/032 **9th May 2017**

Sub: Purchase Procedure.
Ref: Office Order No. HO/591/029 dated 08.09.2016 (as amended)
-o0o-

1.0 The rules and regulations governing Purchase Procedure of the Company are notified vide Office Order referred to above.

2.0 The Office Order referred to above is amended to the extent mentioned below:

2.1 Re-number **CHAPTER 22 - GLOSSARY** as **CHAPTER 23.**

2.2 Add **CHAPTER 22** in the above referred Office Order as under:

"CHAPTER 22

22.0 INDIGENISATION PREFERENCE CLAUSE:

22.1 Introduction

BEL has always been giving thrust for indigenous design and outsourcing. To provide more focus and preference for Indigenisation, Indigenous Design, Development and Manufacture (IDDM) clause is incorporated in the BEL's procurement manual.

22.2 Feasibility Study

Each SBU/Unit will have an Indigenisation steering committee consisting of members from Materials Management, D&E, Indenting / User department and other concerned departments (like Quality Control) nominated by the respective SBU/Unit Head. The committee should verify the availability of indigenously designed and developed products for procurement from Indian vendors and classify under any of the following categories:

i) Proven Products available based on indigenous design and development
ii) Products which are under advance stage of development and engineering with a proven design and prototype.
iii) Capabilities exists in the industry, but no concrete development activities initiated
iv) Neither capability nor any development activity initiated by the Indian industry.

The feasibility study should be completed prior to the tendering process. The committee should map the Technical, Quality, Delivery, Price or any important requirements of the project with the study findings and evaluate the feasibility of offering the product under IDDM category.

If the item belongs to (i) and (ii) category as above, the committee shall consider recommending for procurement under IDDM category after mapping of project requirements. If the item belongs to (iii) and (iv) category as above, the IDDM clause shall not be applicable.

The committee should make recommendation on the procurement under IDDM category based on the findings of the study.

The committee shall also examine and consider the special requirements of projects like procurement from specific source, supply record, contractual obligations etc. while making the recommendations.

22.3 Applicability of IDDM Clause

IDDM clause is applicable for the tender value more than Rs.1 Crore (excluding taxes & duties) for procurement of project items, where BEL owns the design/manufacturing documents, either through own development or through Transfer of Technology (ToT) acquired from the design partners/Original Equipment Manufacturers (OEMs) etc., subject to meeting the requirements of performance, quality, customer delivery and price and recommendation by the Indigenisation steering committee.

Service related contracts, special requirements of projects like procurement from specific source, supply record, contractual obligations etc will not be covered under this clause.

22.4 Indigenous content required for eligibility

Case 1: Products that are indigenously designed developed and manufactured with a minimum of 40% Indigenous Content (IC) on cost basis of the total contract value.

Case 2: Products having 60% Indigenous Content on cost basis of the total contract value, which are not designed and developed indigenously.

22.5 Purchase Preference Clause

Purchase Preference shall be extended to bidders having more Indigenisation Content under the following condition:

When the quote is received from more than one Indian Vendor under IDDM Category and L-2 has more than 10 % of Indigenous Content that of L-1 and the overall quote of L-2 is within the band of L1+10%.

Then L-2 will be called for negotiation to bring down their price to the L-1 price or below L-1.

If not matching L1 price by L2 then L1 will get the order.

22.6 Bank Guarantee towards Indigenisation (INDBG)

Bidders who have availed purchase preference shall submit a bank Guarantee for a value of 1% of the total order value excluding taxes & duties before placement of order. In case of L2 getting order, differential between L2 & L1 of indigenization content should be in BG in addition to 1 %.

This INDBG shall become en-cashable in case the Indigenisation planned is not met as committed.

22.7 Bid Rejection Criteria

The bidder shall be informed about the criteria for bid rejection towards indigenization in the tender enquiry itself. Bidders not agreeing to accept any of the followings shall be rejected:

- Indigenisation content requirement clause
- Purchase preference clause
- Bank Guarantee towards Indigenisation (INDBG)

22.8 Tender guidelines and mandatory documents

The tender floated shall have an indigenization clause which shall cover all the aspects as under:

- Indigenisation content required for eligibility.
- Purchase Preference Clause
- Bank Guarantee towards Indigenisation (INDBG)
- Bid Rejection Criteria

Two bid tendering shall be followed. Techno-commercial and price bids should be submitted together giving reference to the RFQ. Bidder shall necessarily provide the following information in the Part I of Techno-commercial offers:

- Proposed Indigenisation Content

  The bidders shall have to declare the percentage of Indigenous Content on cost basis of the total contract value and also submit the list of items as identified and proposed for indigenisation(if any).

- Listing of imported items by bidders

  Bidders shall have to declare the list of items which are being imported by them in the system/Equipment offered against tender. The list shall include all the components, raw materials etc which are imported for the realization of the system/Equipment offered. Bidders shall then give the specific declaration as to why these items cannot be sourced from the within India to justify the imports made.

22.9 Bid Evaluation:

On receipt of the offer, Technical evaluation committee shall verify the proposed Indigenisation content for eligibility and offers meeting the required Indigenisation content will be forwarded for technical scrutiny and for further processing.

Indian bidders not meeting the required level of indigenous content might risk rejection under the IDDM category of procurement at the discretion of Technical Evaluation Committee constituted by the competent authority of respective SBUs/Units."

3.0 The above amendment comes into force with immediate effect.

4.0 All other rules & regulations contained in the above referred Office Order shall remain unaltered.

GENERAL MANAGER (HR)

UNIT HEADS
UNIT HR / FINANCE HEADS
RO / MC HEADS
Company Secretary

CMD D(R&D) D(BC) D(OU) D(MKTG) D(HR) D(F) CVO

भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड
कार्पोरेट कार्यालय
आउटर रिंग रोड, नागवारा, बेंगलूर

भारत इलेक्ट्रॉनिक्स
BHARAT ELECTRONICS

का.आ.सं. प्रका/591/032

दिनांक -9 मई 2017

विषय - क्रय प्रक्रिया

संदर्भ – कार्यालय आदेश सं. प्रका/591/029 दिनांक 08.09.2016 (यथा संशोधित)

-o0o-

1.0 उपर्युक्त संदर्भित कार्यालय आदेश में कंपनी के क्रय प्रक्रिया से संबंधित शासी नियमों और शर्तों का उल्लेख किया गया है ।

2.0 उपर्युक्त संदर्भित कार्यालय आदेश को निम्नानुसार संशोधित किया गया है ।

2.1 अध्याय 22-शब्दावली को अध्याय 23 के रूप में <u>पुनः अंकित</u> करें ।

2.2 उपर्युक्त संदर्भित कार्यालय आदेश में निम्न रूप से अध्याय 22 <u>जोड़ें</u> ।

"<u>अध्याय 22</u>

22.0 <u>स्वदेशीकरण वरीयता खंड</u> -

22.1 प्रस्तावना

बीईएल द्वारा स्वदेशी अभिकल्प और बाह्यस्त्रोतन पर हमेशा बल दिया जा रहा है। स्वदेशीकरण पर अधिक ध्यान केन्द्रित करने और वरीयता प्रदान करने के लिए बीईएल के प्रापण नियमावली में स्वदेशी अभिकल्प, विकास एवं विनिर्माण (आईडीडीएम) खंड को शामिल किया गया है।

22.2 व्यवहार्यता अध्ययन

प्रत्येक एसबीयू/यूनिट की एक स्वदेशी शीर्ष समिति होगी, जिसमें संबंधित अंश सामग्री प्रबंधन, डी एवं ई, इंडेंट/उपयोकर्ता विभाग एवं अन्य संबंधित विभागों (जैसे गुणता नियंत्रण) से एसबीयू/यूनिट प्रमुख द्वारा नामित किए गए सदस्य होंगे। इस समिति द्वारा भारतीय विक्रेताओं से प्रापण के लिए स्वदेशीरूप में अभिकल्प और विकसित उत्पादों की उपलब्धता का सत्यापन किया जाना चाहिए और निम्नवत किसी श्रेणी में उसे वर्गीकृत करना चाहिए -

i) स्वदेशी अभिकल्प और विकास के आधार पर प्रमाणित उत्पादों की उपलब्धता ।
ii) उत्पाद जो प्रमाणित अभिकल्प और आदिप्ररूप सहित विकास और अभियांत्रिकी के उन्नत चरण के अंतर्गत है ।
iii) उद्योग में क्षमताएं मौजूद हैं, लेकिन किसी तरह विकास गतिविधियों की शुरुआत नहीं हुई है ।
iv) भारतीय उद्योग द्वारा न तो कोई क्षमता और न ही कोई विकास गतिविधि की शुरूआत की गई।

निविदा प्रक्रिया से पहले व्यवहार्यता अध्ययन पूरा किया जाना चाहिए। समिति को अध्ययन निष्कर्षों के साथ तकनीकी, गुणता, सुपुर्दगी, मूल्य या परियोजना के किसी भी महत्वपूर्ण आवश्यकताओं के अनुरूप करना चाहिए और आईडीडीएम श्रेणी के तहत उत्पाद की प्रस्तुत व्यवहार्यता का मूल्यांकन करना चाहिए ।

यदि मदें उपर्युक्त के अनुसार (i) और (ii) श्रेणी से संबंधित हैं, तो समिति परियोजना आवश्यकताओं के अनुरूप होने के पश्चात् आईडीडीएम श्रेणी के तहत खरीद के लिए सिफारिश पर विचार करेगी। यदि मदें उपर्युक्त के अनुसार (iii) और (iv) श्रेणी से संबंधित है, तो आईडीडीएम खंड लागू नहीं होंगे।

समिति को अध्ययन के निष्कर्षों के आधार पर आईडीडीएम श्रेणी के तहत खरीद के लिए सिफारिश करना चाहिए।

समिति के सिफारिश करने के दौरान, परियोजनाओं की विशेष आवश्यकताएं जैसे विशिष्ट स्रोत से प्रापण, आपूर्ति अभिलेख, ठेका संबंधी दायित्व आदि की जांच और उस पर विचार करना चाहिए ।

22.3 आईडीडीएम खंड की प्रयोजनीयता

आईडीडीएम खंड परियोजना मदों की खरीद के लिए 1 करोड़ रुपए (कर और शुल्क को छोड़कर) से अधिक निविदा मूल्य के लिए लागू है, जहाँ स्वविकसित अथवा डिजाइन साझेदार/मूल उपकरण निर्माता (ओईएम) आदि से अर्जित प्रौद्योगिकी के स्थानांतरण (टीओटी) के माध्यम से बीईएल के स्वामित्व में डिजाइन/विनिर्माण दस्तावेज है, बशर्ते देशीकरण शीर्ष समिति की आवश्यकताएं निष्पादन, गुणता, ग्राहक तथा मूल्य एवं संस्तुती की प्राप्ती हो ।

इस खंड के तहत सेवा संबंधी अनुबंध, परियोजनाओं की विशेष आवश्यकताएं जैसे विशिष्ट स्रोत से प्रापण, आपूर्ति रिकॉर्ड, संविदात्मक दायित्व आदि को शामिल नहीं किया जाएगा ।

22.4 पात्रता के लिए आवश्यक स्वदेशीकरण के अंश

<u>मामला 1</u>: कुल ठेका मूल्य के आधार पर न्यूनतम 40% स्वदेशी अंश (आईसी) के साथ स्वदेशी रूप में अभिकल्प विकसित और विनिर्मित की गई उत्पादें ।

<u>मामला 2</u>: कुल ठेका मूल्य के आधार पर 60% स्वदेशी अंश वाले उत्पादें, जो स्वदेशी तौर पर अभिकल्प और विकसित नहीं की जाती हैं ।

22.5 क्रय वरीयता खंड

निम्नलिखित स्थितियों के तहत अधिक स्वदेशीकरण अंश वाले बोलीदाताओं को क्रय प्राथमिकता दी जाएगी -

आईडीडएम श्रेणी के तहत जब एक से अधिक भारतीय विक्रेता से दरसूची प्राप्त हो तथा एल -1 की तुलना में एल -2 में 10% से अधिक देशी अंश विद्यमान है एवं एल -2 की कुल दरसूची L1 + 10% के परिसीमा के भीतर है।

तब L-2 को उनकी कीमत एल -1 से या उसके नीचे लाने की बातचीत के लिए बुलाया जाएगा।

यदि एल 2 द्वारा एल 1 की मूल्य मेल नहीं खा रहे तो एल 1 को ऑर्डर दिया जाएगा।

22.6 देशीकरण की दिशा में बैंक गारंटी (आईएनडीबीजी)

बोलीदाता जिससे क्रय वरीयता हासिल की है, उनके द्वारा आदेश कार्यान्वित करने से पहले कर और शुल्क को छोड़कर कुल ऑर्डर मूल्य के 1% के लिए एक बैंक गारंटी जमा की जाएगी। एल 2 को आदेश प्राप्त करने के मामले में, एल 2 और एल 1 के बीच स्वदेशीकरण अंश के अंतर बैंक गारंटी के 1% अतिरिक्त होना चाहिए। यदि प्रतिबद्धित के रूप में देशीकरण की योजना अप्राप्त होने की स्थिति में यह आईएनडीबीजी नकदी हो जाएगा।

22.7. बोली अस्वीकृति मानदंड

बोलीदाता को निविदा पूछताछ में ही स्वदेशीकरण की दिशा में बोली अस्वीकृति की मापदंड के बारे में सूचित किया जाएगा। निम्नलिखित किसी शर्त को स्वीकार न करने की स्थिति में बोलीदाता को अस्वीकार किया जाएगा -

...3/-

- स्वदेशीकरण अंश आवश्यकता खंड
- क्रय वरीयता खंड
- देशीकरण की दिशा में बैंक गारंटी (आईएनडीबीजी)

22.8 **निविदा दिशानिर्देश और अनिवार्य दस्तावेज**

निविदा जारी करने के लिए एक स्वदेशीकरण खंड होगा जिसमें निम्न सभी पहलुओं को शामिल किया जाएगा:

- पात्रता के लिए आवश्यक स्वदेशीकरण अंश
- खरीद वरीयता खंड
- देशीकरण की दिशा में बैंक गारंटी (आईएनडीबीजी)
- बोली अस्वीकृति मानदंड

दो बोली निविदा प्रक्रिया का अनुपालन किया जाएगा। तकनीकी-वाणिज्यिक और मूल्य बोलियां आरएफक्यू के संदर्भ में एक साथ प्रस्तुत की जानी चाहिए। बोलीदाता तकनीकी-वाणिज्यिक प्रस्ताव के भाग 1 में निम्नलिखित जानकारी ज़रूर प्रस्तुत करेंगे:

- प्रस्तावित स्वदेशीकरण अंश

  बोलीदाताओं को कुल संविदा मूल्य के आधार पर स्वदेशी अंश का प्रतिशत घोषित करना होगा और स्वदेशीकरण के लिए अभिचिह्नित और प्रस्तावित वस्तुओं की सूची भी जमा करनी होगी (यदि कोई है)।
- बोलीदाताओं द्वारा आयातित वस्तुओं की सूची

  बोलीदाताओं को निविदाओं के संबंध दिए गए प्रणाली/उपकरण में उनके द्वारा आयात किए जा रहे वस्तुओं की सूची घोषित करना होगा। सूची में प्रणाली/उपकरण की प्राप्ति के लिए आयात किए गए सभी घटकों, कच्चे माल आदि के विवरण शामिल होंगे । भारतीय स्रोतों से इन मदों को क्यों नहीं खरीदा जा सकता है के बारे में, बोलीदाताओं को विशिष्ट घोषणा देनी होगी ।

22.9 **बोली मूल्यांकन** -

प्रस्ताव की प्राप्ति करने पर, तकनीकी मूल्यांकन समिति पात्रता के लिए प्रस्तावित स्वदेशीकरण अंश की सत्यापन करेगी और आवश्यक स्वदेशीकरण अंश को पूरा करने के लिए तकनीकी जांच के लिए और आगे की प्रक्रिया के लिए अग्रेषित किया जाएगा।

संबंधित एसबीयू / इकाइयों के सक्षम प्राधिकारी द्वारा गठित तकनीकी मूल्यांकन समिति के निर्णय के आधार पर प्रापण के आईडीडीएम श्रेणी के तहत स्वदेशी अंश के आवश्यक स्तर की पूर्ति न करने वाले भारतीय बोलीदाता अस्वीकृति का जोखिम हो सकता है।"

3.0 उपरोक्त संशोधन तत्काल प्रभाव से लागू होता है।

4.0 उपर्युक्त कार्यालय आदेश में निहित अन्य सभी नियम और विनियम अपरिवर्तित रहेंगे।

महाप्रबंधक (मा.सं.)

कार्यपालक निदेशक / महाप्रबंधक
यूनिट मा.सं. / वित्त प्रमुख
क्षे.का. / विपणन केन्द्र प्रमुख
कंपनी सचिव

सीएमडी नि.(अनु.व वि.) नि.(बैं.का.) नि.(अ.यू.) नि.(विपणन) नि.(मा.सं.) नि.(वित्त) सीवीओ